हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याः टी0सी0पी0—ए (3)—5/2019 तारीख, शिमला—2, 26—10—2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन कार्यान्वयन करने हेतु प्रारुप अधिसूचना को इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 19/06/2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव (वों) को आमन्त्रित करने के लिए इसे राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 21/06/2023 को प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी—ए(3)—1/2014—I, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ट— 9 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 से सलंग्न परिशिष्ट—9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परिशिष्ट–9''

(नियम 13 और 14 देखें)

डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के लिए संचार टावरों/बिल्डिंग समाधानों की स्थापना (प्रतिष्ठापन) हेतु विनियम ।

1 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संसूचित नीति हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में इस शर्त पर लागू होगी कि यदि टावर आधार पर प्रतिष्ठापित किया गया हैं तो उस योजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में आवासीय भवनों के लिए यथालागू न्यूनतम सेट बैक लागू होंगे। छत के शीर्ष टावरों और आधार पर स्थापित टावरों हेतु संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र आज्ञापक होगा।

2 डिजिटल संचार अवसंरचना हेतु इन–बिल्डिंग समाधान मॉडल बिल्डिंग उप–विधि, 2016 की युक्तिका में उपाबन्ध के अनुसार बनाया जाएगा और समय–समय पर पश्चातवर्ती संशोधन को, नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपाबन्धों के अधीन गठित योजना/विशेष क्षेत्र में स्थित समस्त वाणिज्य, निवासीय (निवासीय सहकारी सोसाइटी भवन सम्मिलित), शासकीय भवन (सरकारी भवन सम्मिलित), बहुमंजिला वाणिज्यि भवन सरकारी/प्राइवेट अस्पताल, वाणिज्यि परिसर/होटल (होम स्टे/नास्ता एवं बिस्तर सम्मिलित)/विमानपत्तन/पुलिस भवन इत्यादि को लागू होगा और जिनके लिए उन भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), हिमाचल प्रदेश से रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्रम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)-5/2019 DATED 26-10-2023 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-A(3)-5/2019 Dated, Shimla-2 26-10-2023

NOTIFICATION

WHEREAS, the draft notification to carry out amendments in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, was notified vide this Department notification of even number dated 19th June, 2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 21st June, 2023 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) received in this behalf within the stipulated period by the Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I dated 1st December, 2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 01st December, 2014, namely:-

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning Tenth Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of Appendix -9

2. For Appendix-9, appended to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 the following shall be substituted, namely:-

“APPENDIX 9”
(See rules 13 and 14)

REGULATIONS FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION TOWERS/IN BUILDING SOLUTIONS FOR DIGITAL COMMUNICATION INFRASTRUCTURE

1. The Policy communicated by the Department of Information Technology, Himachal Pradesh shall be applicable in all the Planning Areas and Special Areas in the State of Himachal Pradesh subject to the condition that minimum set backs as applicable for residential buildings in that Planning Area or Special Area shall be applicable, in case tower is installed on ground. A Structural Stability Certificate of the building shall be mandatory for roof top towers and towers erected on ground.

2. In–building solutions for digital communications infrastructure shall be made as per provisions in addendum to Model Building Bye-Laws, 2016 and subsequent amendments from time to time which shall apply to all commercial, residential (including residential Cooperative Societies buildings), official buildings (including Government buildings), Multi-storey commercial buildings, Government/Private Hospitals, Commercial Complexes/Hotels (Including Home Stays/Bed and Breakfast (B&B)/Airports/Police Buildings etcetera located in Planning/ Special Areas constituted under the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and to those Real Estate Projects which require registration with Real Estate Regulatory Authority (RERA), Himachal Pradesh.

By Order

DEVESH KUMAR
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh